दिया है। वादीगण की ओर से इस संबंध में वादीगण की साक्ष्य का अवलोकन करते है तो पाते है कि परिवार कार्ड संख्या 421 में गुलाबचन्द कोली अंकित है। जांब कार्ड अंगूरी देवी पत्नि गुलाबचन्द अंकित है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादिया संख्या 1 के पति का नाम गुलाबचन्द है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत शजरा के अनुसार मृतक गुलाबचन्द के वारिस अंगूरी पत्नि, बाबूलाल कलुवाराम मनोहरलाल पुत्र है जिनमे से बाबूलाल का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिस रूपन्ती सरोज रेणू मोनू देवरत कुलदीप है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि गुलटू गुलाव मनु तीनों नाम गुलाबचन्द के ही है गुलाबचन्द का देाहान्त हो चुका है जिसके वारिसान गुलाबचन्द की विधवा पत्नि अंगूरी देवी व उसके तीन पुत्र बाबूलाल कलुआराम व मनोहर लाल है। इनमें से बडे पुत्र बाबूलाल का भी देहान्त हो चुका है। जिसके वारिस विधवा पत्नि रूपन्तीदेवी सरोज रेनु, मौनू, तीन पुत्रियां व देवरथ व कुलदीप दो पुत्र है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतक गुलाबचन्द के वारिस वादीगण ही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण अपने वाद को प्रमाणित करने में सफल रहे है इसलिये वादीगण का वाद डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर ग्राम हुडला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 273/0.43, 274/0.18, 275/0.16, कुल किता 3 रकबा 0.77 हैक्टयर में खातेदार मृतक मनु पुत्र चम्पीलाल के स्थान पर उसके वारिस अंगूरी पत्नि स्व. गुलाबचन्द उर्फ गुलू हि. 1/16, रूपन्ती पत्नि स्व. बाबूलाल सरोज रेनु, मौनू, तीन पुत्रियां बाबूलाल, देवरत कुलदीप

खण्ड अधिकारी
हवा (जिला दौसा)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम अंगूरी वगैरा बनाम मु.सं. राज.सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] हि. 1/16 हि.ब., कलुवाराम पुत्र गुलाबचन्द हि. [illegible] मनोहरलाल पुत्र गुलाबचन्द हि. 1/16 का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के अधिकारी होगे। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–03–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	